न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 473/16 **निर्णय दिनांकः 04.09.2018**

1. मलुराम पुत्र हरभजराम जाति बिश्नोई निवासी रासीसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 27—10—1988
सहायक उपनिवेशन आयुक्त, कोलायत

उपस्थितिः—

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के निर्णय दिनांक 27—10—1988 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील

कोलायत के चक 2 सीडी के मुरब्बा नम्बर 118/49 की 25 बीघा व मुरब्बा नम्बर 118/41 में 23 बीघा इसप्रकार कुल 48 बीघा अनकमाण्ड भूमि के विशेष आवंटन में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन कर दिया गया। किन्तु उक्त रकबे को बकाया राशि जमा नहीं कराने के कारण खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट आज दिन भी उक्त राशि जमा कराने को तैयार है। अपीलांट ने कभी भी उक्त राशि जमा कराने से इंकार नहीं किया। आवंटन पत्रावली के तहत अपीलांट को नोटिस जारी किया गया परन्तु उक्त नोटिस अपीलांट को तामील नहीं हुआ।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का आवंटन खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट के आवंटन पत्रावली मे किसी प्रकार के खारिज आदेश का अंकन नहीं है। केवल मात्र ओ.के. की रिपोर्ट के अनुसार सैल रजिस्टर में खारिज का नोट अंकित है। अदालत मातहत द्वारा बिना सुने एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। सुनवाई का अवसर प्रदान न देकर अदालत मातहत ने नेचुरल जस्टिस के सिद्वान्तों की अवहेलना की है। इस संबंध में विभिन्न न्यायिक दृष्टातों में यह अभिलिखित व सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि विशेष आवंटन के लिए बिना कोई नोटिस दिये प्रार्थना पत्र एकपक्षीय खारिज किया गया है, सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, आदेश अधिनस्थ न्यायालय का सेट असाईड किया गया।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27—10—1988 के विरूद्व अपील 03—08—2009 को पेश की है। जो करीब 21 वर्ष विलम्ब से पेश है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन बकाया राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण खारिज किया गया है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 27—10—1988 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील दिनांक 03—08—2009 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काऊन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 2 सीडी के मुरब्बा नम्बर 118/49 की 25 बीघा व मुरब्बा नम्बर 118/41 में 23 बीघा इसप्रकार कुल 48 बीघा अनकमाण्ड भूमि के विशेष आवंटन के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन भी कर दिया गया। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि की बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने

के फलस्वरूप अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन दिनांक 27—10—1988 को निरस्त कर दिया गया।

(3) इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अदालत मातहत की पत्रावली में अपीलांट के आवंटन को खारिज किये जाने का कहीं भी अंकन नहीं किया गया है। केवल मात्र सैल रजिस्टर में खारिज का नोट अंकित है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को खारिज करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। जो स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होना साबित है।

(4) प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के आज दिनांक को आराजीराज दर्ज रिकार्ड होने के बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि वादगत् भूमि आज दिनांक को राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज होकर अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित भूमि नहीं है। ऐसी स्थिति में हम उचित पाते है कि अधिनस्थ न्यायालय इस संबंध में जॉच करते हुए अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात् विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27—10—1988 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 04.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर